**कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बेमेतरा (छ.ग.)**
**दूरभाष क. 07824—222129, फैक्स क. 07824—222029**
E-Mail bemetara.cg@gov.in

**।। आदेश ।।**

क्रमांक / 175 /अ.जि.द / 2020 बेमेतरा दिनांक 26 / 04 / 2020

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संभाव्य प्रसार को देखते हुये इसके प्रसार को रोकने के लिए तथा इस पर नियंत्रण हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 89 / अ.जि.द / 2020 बेमेतरा दिनांक 14.04.2020 को जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की प्रभावशीलता दिनांक 03.05.2020 तक के लिए बढ़ाया गया है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 24.04.2020 के माध्यम से जारी प्रेस विज्ञप्ति के परिपालन में निम्नानुसार आदेश जारी किया जाता है:—

2. इस आदेश का तात्पर्य यह है कि:—

(a) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित समस्त पंजीकृत दुकानों के संचालन की अनुमति रहेगी।

(b) शहरी क्षेत्रों में पंजीकृत सभी एकल दुकानें, आस पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसर में स्थित दुकानों को खोलनें की अनुमति होगी। किन्तु मार्केट की दुकानें / मार्केट काम्पलेक्स एवं शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति नहीं होगी।

**जिले के समस्त क्षेत्रों में रेस्टोरेंट, हॉटल्स, पार्लर एवं नाई की दुकानों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।**

3. स्पष्टीकरणः— ई—कॉमर्स कंपनियों के लिए जारी अनुमति केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए रहेगी।

4. शराब / मदिरा एवं अन्य सामानों के बिक्री कोविड—19 प्रबंधन के लिए जारी राष्ट्रीय निर्देशों में निर्दिष्ट अनुसार निषेध रहेगी।

5. कार्यालयीन आदेश क्रमांक 118 / अ.जि.द / 2020 बेमेतरा दिनांक 20.04.2020 के अनुसार छूट प्राप्त सेवाओं के संचालन हेतु निर्धारित समय—सीमा सायं 04:00 बजे तक रहेगी।

जिले में हॉटस्पाट एवं कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में पूर्व में सम्पूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी आदेश / निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होगें तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हॉटस्पाट एवं कंटेन्मेंट जोन में नहीं होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला—बेमेतरा (छ.ग.)

क्रमश........

Scanned with CamScanner

क्रमांक/ 175 /अ.जि.द./2020 बेमेतरा,दिनांक 26/04/2020

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छ0ग0 शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग को सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग जोन को सूचनार्थ।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला बेमेतरा को सूचनार्थ। उपरोक्तानुसार व्यवस्था का निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को देवें।
7. अपर जिला मजिस्ट्रेट बेमेतरा को सूचनार्थ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बेमेतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी.................................... जिला बेमेतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. सर्व तहसीलदार.......................................... जिला बेमेतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद बेमेतरा एवं समस्त नगर पंचायत, जिला बेमेतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सहायक संचालक, जन सम्पर्क विभाग, जिला बेमेतरा को निःशुल्क प्रकाशनार्थ हेतु।
13. कार्यालयीन गार्ड फाईल हेतु।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
बेमेतरा (छ0ग0)

Scanned with CamScanner